

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग-1
संख्या—15/2018/1216/55—पर्या-1—2018—98(रिट) / 2017 टी0सी0—1
लखनऊ : 16 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण (सरकारी) अधिनियम, 1986 एवं इससे सम्बन्धित नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 प्रख्यापित किए गये हैं जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि दिनांक 14.02.2000 से प्रवृत्त हो गए है। उक्त नियम के नियम-3(2) के अन्तर्गत प्राविधानित है कि “राज्य सरकार, विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानकों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत क्षेत्रों/परिवेशीय में क्षेत्रों को प्रवर्गीकृत करेगी।”

2— ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के नियम-2(ग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में ध्वनि नियम 2000 की अनुसूची में निर्धारित ध्वनि के सम्बन्ध में परिवेशीय वायु क्वालिटी मानक क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय क्षेत्रों को निम्नानुसार प्रवर्गीकृत किया जाता है—

“ ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम-3(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे समस्त क्षेत्रों, जिनके लिये महायोजना (मास्टर प्लान) प्रभावी है, के अन्तर्गत महायोजना में निर्धारित औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय क्षेत्रों के प्रवर्गीकरण के अनुरूप ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित की अनुसूची में निर्धारित परिवेशीय वायु क्वालिटी मानक लागू होंगे। अन्य क्षेत्र, जिनमें महायोजना लागू नहीं हैं, में ध्वनि नियम, 2000 यथासंशोधित की अनुसूची द्वारा निर्धारित परिवेशीय वायु क्वालिटी मानक, क्षेत्र में निर्धारित/अनुमन्य भू-प्रयोग के अनुरूप लागू होंगे।”

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या— /2018/1216(1)/55—पर्याँ—1—2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2— समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
- 3— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
- 5— निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0।
- 6— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डॉ रूपेश कुमार)
विशेष सचिव।